the Prime Minister thought it desirable to send a team of three Lok Sabha members to Marichjhapi to make an on-the-spot inquiry into the report of police atrocities on the Harijan refugees.

The team, after visiting the area, submitted a report to the Prime Minister, in which by and large the report of brutal atrocities on the Harijan refugees has been confirmed. (*Interruptions*). The team made a request to the effect that the refugees should not be forcibly evicted from their improvised settlement in the Marichjhapi island

However, ignoring the report of the team, the West Bengal Police have again resorted to the earlier brutal measures to evict the Harijan refugees from Marichjhapi.

I would urge the Government, in the name of humanity and democratic values, to prevail upon the Government of West Bengal to give up the coercive and brutal move to forcibly evict the Harijan refugees from the Marichjhapi island.

MOTION *RE*. TWENTY-THIRD AND TWENTY-FOURTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*Contd*.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further consideration of the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Pabitra Mohan Pradhan may continue his speech.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh): Sir, yesterday I was saying that India is a country where so many castes and communities live. But in spite of that, the problem of untouchability and the problem of removing poverty and making arrangements for the well-being and improvement of the down-trodden is very acute. Before independence, Mahatma Gandhi took up the cause and did everything non-officially against the wishes of the British Government. So far as my experience goes, Mahatma Gandhi made such a propaganda in the society that this disease of untouchability had been removed to a great extent and the dose of inspiration that had been given by the Congress and Mahatma Gandhi then is till today working. After independence, so many laws had been passed to protect the social, cultural and economic rights of the adivasis and Harijans. I am satisfied that either officially or non-officially, this Indian nation has progressed much in the work of removal of untouchability and doing work towards the benefit and development of the adivasis, Harijans, the poor, the exploited and the down-trodden. Nobody should think that I am thinking less about the Harijans, Adivasis and the down-trodden than they think. My concern may not be much more than their concern for them but it is in no way less than theirs. Still I would hold that I am satisfied that at present, there is no existence of untouchability in this country. I will prove this by giving certain examples. Is there any untouchability in political field? Is there any untouchability in the administrative field? I can prove that there is no existence of the same. I can give you an example. Supposing, a higher officer in any office is a Harijan or a Scheduled Tribe or an Adivasi and in that office, under that very officer there is a Brahmin or Rajput or Kshtriya Class IV employee, say, an orderly or a chaprasi who generally supplies a glass of water to the officers. Now, when he requests for a glass of water this Brahmin employee provides him that. When that officer drinks half of the water, he puts the glass on the table and this Brahmin or Rajput or Kshtriya Class IV employee takes the glass, throws the water at a proper place and washes it and keeps it. Whether somebody accepts it or not, I am not going to argue with such hon. friends, but these are the facts. I will say that as an Indian I feel proud that in this Indian society although caste

[Shri Pabitra Mohan Pradhan]

system was so rigid so many years back, it is now non-existent in Orissa, Bengal, Assam, in some parts of Bihar.

SHRI SURAJ BHAN: I will show you in Orissa.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: There may be stray cases and those cases which are published in the papers and brought to the Legislatures are agrarian cases where Adivasis or Harijans or Brahmins are involved. They are not untouchability problems.

I feel myself very proud that in this country where untouchability was so acute and a complicated problem, by now it has been removed to a great extent that one can say that it is in non-existence.

I will give examples. We say that in European countries untouchability is not there. I will say, in the European countries, whatever their religion may be, untouchability is so acute that although there are laws to remove this disease, still it is there in existence. Government officers are disobeying those laws openly. Some 15 to 17 years back in America an incident happened. It happened in the Little Hill Town In Little Rock Town there are some schools and colleges. The Negro boys and girls desired to read in those schools and colleges, where the whites were studying. The white students and their teachers did not permit these black boys and girls, the Negro boys and girls to be admitted there. As they were not admitted, they forced their way in and occupied the seats in the schools. Then the white boys and their parents drove them away. There was trouble and a regular strike. The Negroes went to the High Court, and the High Court gave a verdict that as per the law of the country they are entitled to be admitted in the schools and colleges which are managed with Government money. But the Governor of that State did not allow these boys on the ground that he has the right to allow or not to allow them. This is an example from America.

Coming to the European countries whenever the Europeans are staying elsewhere, be it Africa or Australia, what are they doing? They have a system that the Europeans will have their own shops and business in one main street and the local adivasis or harijans, if they can be called harijans, will not be allowed in the same road, in the same area, where the white people have their business and their shops. In those countries even now the Negroes are not allowed to enter the hotels etc.

So, why should we be so much depressed that in India our society has not done anything to remove this untouchability? Why should we be so much angry that the Government have not done anything? In my opinion, whenever any party is in power, it has been very sincere and serious about the implementation of the laws for the removal of untouchability. It is for this reason that I say that I am satisfied that our nation as a whole, our society and our administration have left no stone unturned to remove untouchability.

But this untouchability is such an old disease that it cannot be removed all at once. In the society as it is constituted there are so many castes even within Brahmins and Kshatriyas. A Rajput marries another Rajput's daughter, but he does not take meals in that house, because that Rajput is inferior to him. Similarly, there we so many types of Brahmins so much so that one Brahmin does not take his food in another Brahmins house.

15.00 hrs.

This is the position even now. I am not justifying untouchability. I am saying that, by and large, it is non-existent at present. May be, in certain places in the mofussil it may be there. But by making so much *halla* and cry we are complicating the matter. After it has been provided in the Constitution that within 15 years this untouchability should be removed, now although it is 32 years after Indepen-

dence, it has not been removed really in some areas, but we have been successful to the greatest extent. If somebody says that it is in existence, let him say, in some form or the other it is there.

SHRI SURAJ BHAN: The Prime Minister says that it is in existence and it should be removed. But you say it does not exist.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: He says that it is in existence. From my experience I say that it is not in existence. But such a disease cannot be removed all at once You cannot remove it here and there. It should be suo motu banished

Mr. Chairman, regarding the reservation in the Services, I say that the administration was not very active about that. I was in charge of administration in Orissa The Government was not keen about the execution of the reservation principles. Of late, I mean, for the last 7 to 10 years, they are very active and action is being taken in such a way that the non-Harijans and non-Adivasis are becoming envious. Let them be envious, but Adivasis and Harijans must and should get their quota as per the principles laid down by the Government.

With these words, Mr. Chairman, I resume my seat.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मै आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । आज हम तीन रिपोर्टों पर बहस कर रहे हैं । सब से पहली रिपोर्ट 1974-75 की है, लेकिन यह लिखी गई थी सितम्बर 1976 में । यानी डेढ़ साल के बाद रिपोर्ट लिखी गई और लिखने के डेढ़ साल बाद पालियामेंट में पेश हुई और पेश होने के सवा साल बाद आज इस पर बहस हो रही है । यह हालत है कमिश्नर की रिपोर्ट्स की । इस के बाद भी दो रिपोर्टस हैं, उनका भी यही हाल है । मैं महसूस करता हूं कि 1974-75 की रिपोर्ट जून 1975 में कम्पलीट हो कर पेश हो जानी चाहिए थी और उसी साल इस पर बहस हो जानी चाहिए थी । लेकिन यह नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि इस किस्म की ढिलाई दूर होनी चाहिए । आइन्दा से पोजीशन कुछ बदल गई है । अब कमिश्नर के बजाय कमीशन होगा । कमीशन बनने के लिए बिल पिछले साल इंट्रोड्यूस हो चुका है । वह कब पास होगा, कब अमल होगा इसकी मुझे जानकारी नही है । इस बारे मे मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा । लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब कमीशन भी है और कमिश्नर भी है । क्या उनमे समन्वय, कोआर्डिनेशन है, मुझे मालूम नही है । कमीशन को वैधानिक तौर पर पूरा रिकग्नीशन दे कर के यहां पर बिल पास कर के ऐक्शन मे आना चाहिए । उसके ऐक्शन की इसलिए भी जरूरत है कि स्टेट्स मे उसके दफ्तर पिछली सरकार ने वाइन्ड अप कर दिये थे । मुझे खुशी है कि इस सरकार ने वायदा किया है कि कमीशन खुलते ही उसके दफ्तर खुल जायेंगे स्टेट्स में ताकि वह कमीशन ठीक ढग से अपना काम शुरू कर सके । मैं उसके बाद असली बात पर आना चाहता हूं । हरिजन, आदिवासियों की आज हिन्दुस्तान मे हालत क्या है ? मुझे हैरानी थी, जब मै श्री पवित्र मोहन प्रधान की बात सुन रहा था । हरिजन आदिवासियों की हालत यह है । एक शायर ने कहा है—

कागज के बेजा टुकडे से इन्सान का लहू
सस्ता है, यहां,

ऋषि मुनियो का देश है यह, कुत्तों से बुरा
इन्सान है यहा ।

यह हालत है हरिजन आदिवासियो की । उसके बाद भी यहा कुछ सज्जन है जो कहते है कि अन-टचेब्लिटी खत्म हो गई है । अन-टचेब्लिटी कहा खत्म हो गई है ? अभी 4 दिन पहले मैंने अखबार मे पढा था । बिहार के एक हाई-कास्ट साहिब ने अपने नौकर को कहा कि पैट्रोल का लैम्प जलाओ । उस लैम्प के जमाने मे उस गरीब को देर हो गई तो उस साहब ने अपने भाई को हुक्म दिया कि इसको गोली मार दो । उसको गोली मार दी गई और वह खत्म हो गया । यह कोई एट्रोसिटी नही है, अन-टचेब्लिटी नही है कुछ साहबो के हिसाब से ।

यू० पी०, हरियाणा, दिल्ली मे जगह-जगह पर ये वाकयात हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा मे ।

श्री सूरज भान : मै उड़ीसा की बात कह कर ही आगे चलना चाहता हू । श्री पवित्र मोहन प्रधान उस समय हुकूमत में थे । 1969 में एक कमेटी के सिलसिले में मैं वहा गया था । कमेटी का दौरा खत्म हुआ, कमेटी के चेयरमैन थ श्री डी० बासुमतारी । उन्होने श्री पवित्र मोहन प्रधान से कहा कि कमेटी का क्या इम्प्रैशन है, आप सूरज भान से पूछ लीजिए । उड़ीसा के टूर के बारे मे मेरी श्री पवित्र मोहन प्रधान से बातचीत हुई । इन्होंने मुझ से कहा कि क्या इम्प्रैशन है ?

[श्री सूरज भान]

मैंने कहा कि "Completely disappointed with Orissa".

उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई, बड़े हैरान होकर पूछा ? मैं ने कहा कि इस टेलिविजन एज में आप यहां आदिवासियों को कपड़ा पहनना नहीं सिखा सके। आज भी वहां बोंडा और प्रजा कबीलो के लोग नंगे रहते हैं कम्पलीटली नेकेड। मैं ने उनको जिस वक्त यह बात कही कि आप यह भी नहीं सिखा सके तो प्रधान साहब का जवाब था। This is their culture'

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN I myself was a Minister of the Department I offered them cloth but they said they would not wear it

श्री सूरज भान जवाब पूरा सुन लीजिए। तब पवित्र मोहन जी ने कहा 'This is their culture'. तो मैंने पूछा कि मि० प्रधान "Do you want to preserve this culture?'

उसके बाद उनकी जबान बन्द हो गई। केवल उड़ीसा की ही बात नहीं है, पिछली जनवरी में मैं अंडमान होकर आया हूं। वहां पर आदिवासी महिला और पुरुष कंपलीटली नैकेड हैं। इस टेलीविजन एज में कम्पलीटली नैकड हैं और फिर भी कहते हैं कि एक्सप्लायटेशन नहीं है खत्म हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद भी ऐसा कहते हैं तो आप की अक्ल आप को मुबारक आपकी सूझबूझ आप को मुबारक इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं एट्रासिटीज की बात पर आना चाहता हूं। अभी जनवरी के महीने में यू० पी० में रामपुर नाम के एक गांव में जो हाथरस तहसील में है, वहां कालू नाम का एक हरिजन था। उस पर झूठा इलजाम लगाया गया, थानेदार ने कहा कि तुमने कहीं चोरी की है, रात को बुला कर थाने ले गये। थाने में उसको इतना पीटा, इतना टार्चर किया कि उसकी हालत खराब हो गई। हालत खराब होने पर जेल में ले गये, जेल के सुपरिन्टेंडेंट ने कहा कि हालत खराब है इसको हम जेल में एडमिट नहीं करते। चुनांचे उसको हस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और अगले दिन वहां उसकी डैथ हो गई। यह कहानी यहीं खतम नहीं होती। उसके बाद जब यह बात फैली कि ऐसे पुलिस के टार्चर के कारण कालू नामक हरिजन की डैथ हो गई तो उसके फौरन बाद वहां के हरिजनों ने प्रदर्शन किया और मैंडू नाम के एक गांव में हाथरस तहसील में वहां के एक बेधड़क नाम के हरिजन कार्यकर्त्ता, पौलिटिकल वर्कर ने इनके खिलाफ कैम्पेन शुरू किया। कैम्पेन शुरू करने में उस थानेदार के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसको जानबूझ कर मारा है। उसने 16 फरवरी को उस कैम्पेन के बाद चीफ कमिश्नर, सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस और सब अथोरिटीज को अंडर रजिस्टर्ड कवर चिट्ठी लिखी मेरे पास उस एप्लीकेशन की कापी है, डाकखाने की रसीद की फोटो स्टेट कापी है, उसमें लिखा कि मेरी इस कैम्पेन के कारण जो मैंने हरिजन के मौत के बारे में की है अब मेरी जान भी खतरे में है। यह लिखने के बाद मार्च के महीने में उस बेधड़क हरिजन जो पालिटीकल वर्कर था, उसका भी कत्ल कर दिया गया और वह उसी थानेदार ने कराया। यह उस गरीब की फोटो है। यह कत्ल महज यों ही नहीं कि तलवार मार कर कर दिया हो उसकी आंख फोड़ी गई, नाक-कान काटे गये। यह फोटो है उसकी हालत की। पुलिस वहां बाद में पहुंची। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गये लाश रात को टाइम पहुंची। उनको कहा गया कि सुबह आ जाइये सुबह पोस्ट मार्टम होगा। वह गरीब इस भरोसे पर कि जिले के अफसर कह रहे हैं कि पोस्ट मार्टम सुबह होगा चले गये, लेकिन रात-रात में ही लाश को डिस्पोज आफ कर दिया गया। पुलिस ने उसकी झूठी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी ले ली होगी। उन कातिलों में से एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन 110 हरिजन गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बावजूद वहां कहा जाता है कि अब एट्रासिटीज नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहरहाल ... बोल लोग हैं ऐसा कहते होंगे।

इन एट्रासिटीज ... बाद से भी बढ़ावा मिलता है कि अदालतों में जाकर भी हम इन्साफ नहीं मिलता है। यह रिपोर्ट बहुत पुरानी है लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट्स भी बहुत पुरानी हैं, इसलिए मुझे कहना ... । यह 1974-75 की रिपोर्ट है। आप को याद होगा कि 1968 में तामिलनाडु के किलवेनमनी नाम के गांव में 42 हरिजन, जिन में 20 बच्चे भी थे, जिंदा जलाये गये थे। उस वक्त बहुत कुछ हुआ। इसके बाद हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है ? 23 मुलजिम थे। हाई कोर्ट अपने फैसले में कहता है —

"Further there is something astonishing about the fact that all the 23 accused implicated in this case should be Mirasdars Most of them are rich men owning vast extents of land The evidence is that the first accused owns a car. However, much the Mirasdaras might have been anxious to wreck vengeance

upon the Left Communist kisans, it is difficult..".

ये सिग्नीफिकेंट अलफाज़ हैं ।

"..to believe that they themselves walked bodily to the scene and set fire to houses unaided by any of their servants."

यह जजमेंट बहुत लम्बा है । लेकिन नतीजा यह है कि 23 के 23 मुलजिम बरी हो गये । अदालत कहती है कि जिस आदमी के पास जमीन है, कार भी है, वह कैसे कत्ल कर सकता है । अगर इस किस्म का इन्साफ मिलेगा, तो हरिजनों की सुरक्षा नहीं हो सकती है । इसी केस के बारे में कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में रीकमेंड किया था –

"It is for consideration whether it is not almost imperative that processual reforms are undertaken to treat cases of social injustice as separate from ordinary violation of law, that the law relating to burden of proof, the Evidence Act and Criminal Procedure Code are suitably amended as in anti-corruption cases and that special courts with mobile units are needed to be set up for cases pertaining to socio-economic justice."

अगर सरकार हरिजनों पर होने वाली एट्रासिटीज को बन्द करना चाहती है, तो मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर सरकार इमजसी की एट्रासिटीज के बारे में स्पेशल कोर्टस बना सकती है, तो उस हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाली एट्रासिटीज के बारे में भी स्पेशल कोर्ट्स का प्राविजन करना पड़ेगा । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक बात नहीं बनेगी । जब कोई एट्रासिटीज हो जाती है, तो जो उस एट्रासिटी का शिकार हुआ है, उसको यह न कहा जाय कि वह प्रूव करे कि उस पर एट्रासिटी हुई है, बल्कि जालिम से कहा जाय कि वह प्रूव करे कि वह बेगुनाह है । ऐसा करने पर ही एट्रासिटीज बन्द होगी ।

मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं । जो अमीर और सरमायदार है, वह इस भरोसे पर किसी हरिजन या आदिवासी का कत्ल कर देता है, कि अगर मैं जेल में चला गया,—अव्वल तो वह जेल में जायेगा नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े वकीलों को भारी फीस दे कर वह बरी हो जाता है—, तो मेरे पास जायदाद है, मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। लेकिन जिस गरीब हरिजन या आदिवासी का कत्ल हो जाता है, उसके बच्चे भूखे मर जाते हैं । इस लिए कानून में ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया हो, उसको सिर्फ सजा ही न हो, बल्कि उसकी जायदाद भी जब्त कर ली जाये, ताकि उसे महसूस हो कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे ।

एट्रासिटीज को कम करने के लिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि बिहार गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, हरिजनों को अपने डिफेंस के लिये हथियार दिये जायें, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाये और उन्हें हथियारों के लाइसेंस लिबरली दिये जायें ।

1917 में भारतवर्ष का विभाजन हुआ था। कुछ लाख रेफ्यूजीज हिन्दुस्तान में आए, उन को बसाने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री यहां बन गई । कुछ साल के कुछ लाख रेफ्यूजीज के लिए एक मिनिस्ट्री बन सकती है और हजारों साल के करोड़ों रेफ्यूजीज के लिए क्या कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं बन सकती ? बननी चाहिए । जब तक नहीं बनेगी तब तक इन कम्युनिटीज का उद्धार नहीं होगा । आज हम किसी मिनिस्ट्री पर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते । रेलवे को कहेंगे तो वह कहेंगे कि होम मिनिस्ट्री में जाओ । होम मिनिस्ट्री को कहेंगे तो वह कहेंगे कि पी ऐंड टी में जाओ । हम एक जगह पिन प्वाइंट कर सकें कि यह मिनिस्ट्री रेस्पांसिबल है, इस के लिए उन की एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए ताकि कहीं एकोनामिक अपलिफ्ट में ज्यादती हो या और कहीं कुछ हो तो वहां हम उस सेपरेट मिनिस्ट्री को पकड़ सकें ।

मैं अगली मांग रखना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का पीरियड कम से कम तीस साल के लिए आगे और बढ़ना चाहिए । या तो आप यह कह दी जाए कि इन हरिजन आदिवासियों की हालत सुधर गई है । प्रधान साहब तो कह सकते हैं कि सुधर गई है लेकिन हिन्दुस्तान का कोई आदमी इस बात को नहीं मानेगा ... (व्यवधान) ...

बहुत अच्छी बात है अगर आप इस में मेरा समर्थन करते हैं । मैं यह समझता हूं कि यह बिल रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए आ जाना चाहिए था । अभी नहीं आया तो अगले मानसून सेशन में आ जाना चाहिए ।

प्रधान साहब की एक बात का मैं और जवाब देना चाहता हूं । वह कहते हैं कि पोलिटिकल फील्ड में कहां अनटचैबिलिटी बरती गई है, कहां ज्यादती बरती गई है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू और कश्मीर में हरिजन नहीं रहते ? जम्मू काश्मीर का कौन सा मेम्बर पार्लियामेंट हरिजन आदिवासी जाति का यहां बैठा है ? क्या जम्मू और काश्मीर के हरिजन और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व यहां नहीं होना चाहिए ?

श्री सूरज भान

लाजमी तौर पर होना चाहिए। यह बिल्कुल ना-इसाफी की बात है। अडमान की आबादी 1 लाख कुछ हजार है, जिस में 90 हजार के करीब हरिजन आदिवासी है। यह कहा गया कि वहा अनटचेबिलिटी नही है और केवल थोड़े से एबोरिजिनल्स को छोड़ कर बाकी को कहा कि ये ट्राइबल भी नही है। आप पोलिटिकल ग्राउन्ड पर उनको नही मानेंगे क्यो कि अगर उनकी तादाद वहा मान ली जाय शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की तो वहा की एक ही सालिटरी पार्लियामेंट्री सीट है, वह रिजर्व हो जाती है और उन के हाथ से यह सीट निकल जाती है। यह भी पोलिटिकल ज्यादती है। आसाम के लाखो आदिवासियों के बारे मे वहां की गवर्नमेंट की एक अपनी रिपोर्ट है... (**व्यवधान**)...

मै अक्सर वक्त से पहले अपनी बात खत्म कर के बैठ जाया करता हूं। तो तीन मिनट मै और चाहता हू।

आसाम गवर्नमेट ने इन-राइटिग यह कहा है कि इन शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को हम जान बूझ कर के पोलिटिकल रीजन्स के कारण शेड्यूल्ड ट्राइब्ज नही मानते है। क्या यह पोलिटिकल ज्यादती नही है ?

दिल्ली में पिछली गवर्नमेंट ने यह कानून पास किया है कि 1960 के बाद अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी दिल्ली मे आ कर बसता है तो उस को वह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब नही मानेंगे। अगर महाराष्ट्र का एक हरिजन 1965 में दिल्ली मे आ कर बसता है तो उस को दिल्ली वाले इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब नही मानेगे कि वह 1960 के बाद आए हैं और महाराष्ट्र वाले इसलिए नही मानेंगे कि वह 1965 के बाद यहा आ गए। क्या यह पोलिटिकल ज्यादती नही है ? लाजिमी तौर पर है।

मै एक छोटी सी माग और करना चाहता हूं यह बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल मे बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगनी चाहिए। बाबा साहब डा० अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है इस देश को। उन की फोटो वहां जरूर लगनी चाहिए और उन के जन्म दिन पर 14 अप्रैल को छुट्टी होनी चाहिए ?

लैंड रिफार्म्स के बारे में जितने भी एनैक्टमेंट होते हैं वह नाइन्थ शेड्यूल में शामिल हो जायं तो इस से हरिजन और आदिवासियो का बहुत बड़ा लाभ होगा।

उन की एकोनामिक अपलिफ्टमेंट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि सब-ट्राइबल प्लान्स सरकार ने बनाए हैं। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी सब-प्लान बनाना चाहिए उन को अपलिफ्ट करने के लिए। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंसीज हैं उन में भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए।

सर्विसेज मे भी उन का बहुत बुरा हाल है। सर्विसेज मे जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिप्रेन्टेशन है उस के थोडे से आकड़े मैं देना चाहता हू। ये 1-1-78 तक के आंकड़े है। क्लास वन कैटैगरीज मे शेड्यूल्ड कास्ट की रेप्रेजेन्टेशन 4.5 परसेट है और शेड्यूल्ड ट्राइब की 0.8 परसेंट है। यह लेटैस्ट है। क्लास टू में शेड्यूल्ड कास्ट की 6 44 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की 0.88 परसेंट है। क्लास थ्री मे शेड्यूल्ड कास्टस 12 2 परसेंट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 2.8 परसेंट। बैंको का इससे भी बुरा हाल है। 14 नेशनालाइज्ड बैंक्स का हाल और भी बुरा है। मेरा सुझाव है, मैं ने एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल भी रखा है, सर्विसेज मे इनकी हालत तब तक नही सुधरेगी जब तक कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक ऐक्ट नही होगा और उसमे पीनल क्लाज भी होना चाहिए कि अगर रिजर्व्ड पोस्ट के खिलाफ इनको नही लिया जाता है तो उस अफसर को 15 दिन की कैद होगी और हजार रुपया जुर्माना होगा।

एजूकेशन के बारे मे एक बात कहकर मैं बैठ जाऊगा। शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को, कई बार उनकी टर्म भी खत्म हो जाती है, लेकिन स्कालरशिप नही मिलती है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेन्ट्स को एक ऐन्टाइटिलमेंट कार्ड मिल जाता है जिसको दिखा कर हर महीने उन्हे स्कालरशिप मिल जाती है। क्या देश भर मे इस स्कीम को लागू नही किया जा सकता ? लागू किया जा सकता है और लागू करना चाहिए।

जहा तक एडमीशंस की बात है, हर इंस्टीट्यूशन मे इन का हिस्सा है लेकिन हिन्दुस्तान मे एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जोकि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को कोई हिस्सा देना नही चाहती है। आप हैरान होगे कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है। वह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां पर सेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कोई एडमीशन नही है—मेडिकल कालेज या किसी भी फैकल्टी में। मैं कमिश्नर की रिपोर्ट से रेलिवेन्ट पोर्शन पढ़कर सुना रहा हूं :

"However, there are st.ll a few Universities like the Aligarh Muslim University which have not so far started acting upon the instructions issued by the Government of India Some private Medical Colleges in the State of Andhra..."

वहां पर प्राइवेट कालेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमीशन नहीं देते हैं। मैं निवेदन

करना चाहता हूं कि जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और सुधार हुए हैं वहां यह सुधार भी होना चाहिए कि हरिजन आदिवासियों को मेडिकल कालेज और दूसरी फैकल्टीज में उनका हिस्सा दिया जाए।

इसी तरह से हाई कोर्टस में अभी तक सीनियर क्लास वन में रिजर्वेशन नहीं है। कांस्टीट्यूशन में यह कही नही लिखा है कि हाईकोर्ट मे क्लास वन में रिजर्वेशन नही होगा। इसलिए वहां पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए।

अनटचेबिलिटी ऐक्ट जो बना था उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स की जरुरत है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया। यहां पर केन्द्र में पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी हुई है, स्टेट्स में भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए। तमिलनाडू में ऐसी कोई कमेटी नही है। सेन्टर की पार्लियामेन्टरी कमेटी को न तो वे विल्लुपुरम में जाने देते हैं और न ही अपनी कोई कमेटी बनाते हैं। इसके लिए सेन्टर को स्टेट्स पर जोर देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों पर एक्शन लिया जायेगा।

SHRI T. BALAKRISHNIAH (Tirupathi): Mr. Chairman Sir, I will only confine myself to the educational facilities that are given for Scheduled Castes by the Government of India. But before coming to that subject, I want to read out from the Preamble of our Constitution:

> "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic Republic and to secure to all its citizens:
>
> Justice, social, economic and political;"

and so on, and also of equality, of status and of opportunity. This is what is enunciated in the Preamble of the Constitution.

Again in Art. 46 it is said:

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

Here the term 'weaker sections' means women also—not only Scheduled castes and Scheduled Tribes but also women. Their interests must be kept in mind and educational facilities must be given to them. The Commission has made an observation with regard to the educational facilities that are given. The Government of India and also the State Governments are giving a wide publicity that the Harijans and the Adivasis are given educational facilities from I Std. to higher studies also. That may be true, but in implementation it is not so, because, in 1976 the Government of India issued a circular stating that not more than two persons in a family would be given scholarships. I am reading the Commissioner's observation: on page 93, it is said:

> "In response to a number of queries received from various State Governments and educational institutions about the number of children in a family who will be entitled to post-matriculate scholarships, the Union Ministry of Home Affairs have clarified that not more than two children in the same family will be eligible to receive these scholarships. It has been further clarified that this restriction is not for two children at any particular time but two children of the same family for all time to come."

From this you will see that not more than two children are entitled, in a Harijan family, to get post-matriculate scholarships. But what I submit to you is that those who were already born should not be denied the opportunity of getting the educational facilities. It should have prospective effect, it should not be retrospective. About this, I wrote to the Prime Minister, Shri Morarji Desai, on 4-11-1978 thinking that he would definitely take up the cause of the Harijons and would do something in the matter. I quoted the circular number under which this restriction was placed, and then I requested him:

> "I, therefore, request you, Sir, to take sympathetic attitude and relax the above condition under paragraph XII, at least in the case of

[Shri T. Balakrishniah]

women belonging to S.Cs. and S.Ts. as special incentive and as New Year Ugadi gift by the Janata Government under your benign leadership."

I wrote to him on 4-11-1978 requesting that it should be a New Year 'Ugadi' gift by the Janata Government for the Scheduled Castes students. I wanted that this rule should be relaxed totally or, if that was not possible, at least in respect of women students. First I got a reply from the Prime Minister as follows: it was dated November 9, 1978:

"I have received your letter in which you have urged that the existing restriction on the number of children of Scheduled Castes/Tribes families eligible for post-matric scholarships be relaxed, at least in the case of women students. I shall have the suggestion looked into."

I hoped that he would definitely take a sympathetic attitude towards the women children. But he did not do that. Later on, in his letter dated December 12, 1978, he gave a negative reply saying that it could not be done, and the reason that he has given is that, in case this rule is relaxed, the budget amount will have to be enhanced. Therefore, he did not agree to the proposal to relax this rule.

In this connection I would like to bring to your kind notice that there are no separate universities for Harijans. There are no separate colleges or High Schools for Harijans as in the case of other communities and minorities. If you see, in spite of that, they are claiming that they should be given more facilities, more amenities and more encouragement and the government is coming forward to give them all facilities to such of those minorities which are in this country. But, in the case of Harijans, the government is not willing to budge an inch or give any concessions to Harijans for which I am extremely sorry.

You know what the Prime Minister said about women's education. This is a news item from the *Times of India* under the dateline December 26, New Delhi.

"The Prime Minister, Mr. Morarji Desai to-day gave away awards to principals of five Muslim girls high schools of Uttar Pradesh for outstanding results in the examinations conducted by the U.P. Board of Secondary Education.

The Prime Minister said it was necessary to encourage women's education particularly among the Muslims, because many parents did not send their daughters to school.

Mr. Desai hoped that the system of awards would be extended to more areas in the country so that more and more Muslim girls were encouraged to attend schools."

This is the sympathetic attitude of our Prime Minister towards Muslim girls for whom there are already separate Muslim High Schools, Muslim Universities and Muslim colleges. I am not envying the Muslim community or the Christian community or any other minority. They must be given all sorts of encouragement. But why does the Prime Minister say one thing at one place and give me a different reply? I specifically wrote to him asking him to relax the rule that not more than 2 children in a Harijan family will be given post-Matric scholarship. They say this was done in 1976. But are you not repealing many of the Acts that were enacted by the previous government? Have you not repealed the amendments in the Constitution? Are you not bringing in Special Courts quite contrary to what the previous government has done? Because the previous government has committed some mistakes keeping in mind that the Harijans should not produce more than two children, they did it. This is what it means—that the Harijans population should decrease, that the Harijans should decline and the Harijans should be annihilated in the country. This is the object of this circular. That

is why they said that not more than two children will be entitled to post-Matric scholarship. But is it fair on the part of this government not to reconsider this issue when you have reconsidered so many things of the previous government? So you are reluctant to reconsider this issue. You have heard what the Prime Minister has said about Muslim girls' education. He wanted to give them all incentives but he is not sympathetic to relax this rule of restricting the scholarship for not more than two children in a Harijan family. This is the way how the Prime Minister is going to help the Harijan community. He is a Gandhian and I thought he would practise what he preached. There I differ from him. He is a strong man. He takes any step which he believes is correct but in this particular issue he is not.

My friend, Mr. Suraj Bhan and others pointed out that there are so many Universities, so many colleges for other communities but for the Scheduled Castes there are no colleges. I am extremely sorry in this matter. I once wrote to the Education Minister regarding the University Grants Commission. This University Grants Commission expressed its inability to help; it does not have powers or jurisdiction over the universities. Who else has got the powers or jurisdiction over the universities? Who is controlling the universities? Is it the Central Government or U.G.C.? Under the U.G.C. Act, there is some provision to supervise, it is not merely a distributing agency of funds. It has got powers also to supervise. There are universities in which harijans are not at all given admission without capitation fees. There are medical colleges where there has been no admission of harijans. Are you not taking this into consideration? They say that that is a private college. I can cite an instance of Vellore Medical College where there is no reservation for the scheduled castes. There is a Medical College in Manipal where also there is no reservation. There are so many such medical colleges where there is no reservation for the scheduled castes although the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Government have often written to them that they should also follow the reservation rules. They also gave their instructions. What action is the Government proposing to take against such college authorities? They say they are helpless. Government says they are helpless because they are autonomous bodies. What sort of autonomous body it is? Let this college or university be run from out of its own funds and not out of Government funds or public funds. All these universities are getting grants and funds. They say that it is a private college and that is their own college; it is an autonomous body. What do you mean by that? Why are you not able to take action against these people who are against the harijans' being admitted into the colleges and universities?

Therefore, I submit to you that when the Janata Government has taken so much of interest in repealing all the old acts and old regulations, why are they not relaxing the new regulations or why are they not willing to relax this rule of restricting the post-matriculation scholarship of not more than two children in a harijan family? This is a very regrettable thing. I now request the hon. Minister—the Janata Government—and the Janata Members to consider these issues sympathetically and see that this rule is relaxed so that more number of harijan children are really benefited educationally as well as economically and socially.

Thank you for the opportunity that you have given me.

श्रीमती अहिल्या पी० रांगणेकर (बम्बई उत्तर-मध्यम) : सभापति महोदय, यह जो कमीशन की रिपोर्ट आयी है हम देखते हैं कि इस पर भाषण करने वाले मैजारिटी में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स के ही लोग हैं, और हाउस में इतने कम लोग हैं। ऐडजर्नमेंट मोशन लायेंगे, और भी कुछ करेंगे, लेकिन जब असली सवाल आता है तब लोगों को बोलने का समय नहीं मिलता, और अधिक सदस्य भी यहां मौजूद नहीं हैं। ऐसा लगता है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स का सबजेक्ट भी, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया है उस पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है।

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह साल ऐंटी-अपारथीडईयर है। हमने देखा है कि हमारे नेता बाहर जा कर के ऐंटी अपारथीड के बारे में बात करते हैं, हर जगह जा कर कहते हैं कि नीग्रो और साउथ अफीकन्स के ऊपर होने वाले अत्याचार बन्द होने चाहिये। लेकिन खुद के देश में जो अत्याचार होता है उसको सुनने के लिये कान नहीं है, देखने के लिये आंखें नही हैं और बोलने के लिये मुह में जबान नही है। यह हमारे देश में चल रहा है। इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिये। माननीय प्रधान जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में नहीं है। तो क्या है? उन्होंने कहा कि कहां है अनटचेबिलिटी? आप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह बर्ताव में, जौब देने में कानून में अन-टचेबिलिटी है। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर अन-टचेबिलिटी है। हम कितने भी कानून बनायें वह इम्पलीमेंट नहीं होते हैं और गारन्टी नही है हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को कि उनकी रक्षा हो जाये।

हम तो यह देखते हैं कि जो अत्याचार हो रहे हैं, वह जातीय वर्ण के आधार पर हो रहे हैं। उनमे भी बहुत से अत्याचार आर्थिक ढांचे की वजह से हैं, जो इन्टरेस्टेड लोग हैं, वह अपने हाथ में यह व्यवस्था रखना चाहते हैं, इस लिये भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। यहां के दलित खेत मजदूर और गरीब मजदूर हैं। पहले खेत मजदूरों को काम दिया जाता था कि चलो हमारा आंगन साफ करो, हमारा गंदा काम करो। इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लीडर हो गये, उन्होंने कह दिया कि तुमको यह काम नहीं करना चाहिये। जब से उन्होंने यह काम करने से इन्कार कर दिया तब से उन पर अत्याचार बढ़ गये हैं, क्योंकि वेस्टेड इन्टरेस्ट चाहते हैं कि उन्हें यह काम करना चाहिये।

आज देहात में जो हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, ज्यादा अत्याचार उनको जो जमीनों का कब्जा मिलता है, उस जमीन से उठाने के लिये होते हैं। कंझावाला में क्या हुआ? दलितों को जमीन दे दी गई और जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, समाजवाद की बात करने वाले, किसान सम्मेलन के नाम से जाते हैं और कहते हैं कि कंझावाला की जमीन दलितों को नही देनी चाहिये। इसी लिये प्रधान मंत्री के घर पर मोर्चा भी निकाल दिया गया। इसलिये कि वह आर्थिक ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते, उसे कायम रखने के लिये यह दलितों को दलित रखना चाहते हैं।

आदिवासी औरतों पर अत्याचार होता है। बहुत जगह अत्याचार एक्सप्लायटेड लेबर पर होता है। मजदूरी का काम करने वाली औरतों पर हमला हुआ वहां बलात्कार भी हुआ। लोगों ने सोचा कि आदिवासी हरिजनों पर अत्याचार करेंगे, बलात्कार करेंगे तो कौन पूछने वाला है। यह एक्सप्लाइटेड लेबर के साथ होता है और उनकी एक्सप्लायटेशन चालू रखने के लिये यह सब होता है, यह हमे ध्यान रखना चाहिये।

रिजर्वेशन आज होना चाहिये, लेकिन इससे यह सवाल हल होने वाला नही है। आर्थिक ढाचा बदलकर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियो के हाथ मे जिन्दा रहने का साधन आप नही देते और कुछ नही देते। उनको इक्वल अपौर्चुनिटो नहीं मिलती है। इस तरह से खाली रिजर्वेशन से उनका सवाल हल होने वाला नही है। रिजर्वेशन भी क्या है। जो हमारे यहां बेकारी बढ़ती है, हमारे बेकार नौजवान हैं, उनके सामने क्या रखते हैं कि यह हरिजन रिजर्वेशन की माग करते है इसलिये तुमको नौकरी नहीं मिलती है। गलतफहमी पैदा कर के जानबूझकर हरिजनों और बेकार लोगों में झगड़ा पैदा करते हैं। आप देखें कि रिजर्वेशन से भी उनको कितनी जोब मिलती है। 75 साल मे बेकारी बढती है 3.24 लाख और 1975 में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। 93 लाख बेकार थे लेकिन 4 लाख 400 लोगों को आर्गेनाइज्ड सैक्टर में नौकरी मिली। उनमें केवल 19 हजार शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइबस के लोग थे। इसलिए रिजर्वेशन में भी उनका कुछ मिलता नही है। आप कहते हैं कि रिजर्वेशन फैल गई है इस लिए जाब नहीं मिलता है। बढ़ती हुई बेकारी को छिपाने के लिए शैड्यूल्ड कास्ट और दूसरों मे झगड़ा पैदा कराया जाता है। इस तरफ ध्यान देना चाहिये। इसलिये उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन बहुत दिनों तक चलना चाहिए। उन को कुछ थोड़ी सहुलियात देने की बात है। अगर आप फिगर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि शिक्षा के वक्त उन को सहूलियत मिलती है। मेरा कहना है जन्म से ही उनको सहूलियत देना चाहिए। शिक्षा के वक्त सहूलियत देने से कोई फायदा नही है। 6 से 11 साल का बच्चा 11 साल के बाद कमाने के लिए जाता है क्योंकि घर मे उसको खाना नही मिलता है।

स्कूलों में एडमिशन पाने वाले छात्रों के आंकड़े इस प्रकार हैं: 1968–69 स्टैन्डर्ड 1 से पांच 6 से 11 वर्ष की उम्र, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा दूसरे बच्चे: 453.24 लाख और 82.80 परसेन्ट, 1973–74 में 534.53 लाख और 90.70 परसेंट। इसके मुकाबले में शिड्यूल्ड कास्ट्स बच्चों की सख्या 1968–69 में 65.20 लाख और 64.10 पर-सेंट, और 1973–74 में 68.95 लाख और 68.90 परसेंट थी।

स्टेन्डर्ड 6 से 8, 11 से 14 वर्ष की उम्र, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा दूसरे बच्चे: 1968–69 में 110.51 लाख और 1973–74 में 130.64 लाख। इसकी तुलना में इस सालों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों की संख्या 11.19 लाख और 12.16 लाख थी।

स्टैंडर्ड 9 और उससे ऊपर, 14 से 17 वर्ष की उम्र, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा दूसरे बच्चे 1968–69 में 55 56 लाख और 1973–74 में 67.11 लाख, जबकि इन सालों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों की संख्या 4.58 लाख और 5,75 लाख थी ।

इन फिगर्स से पता चलता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे 11 साल के बाद अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ता है। इस लिए जब तक इन लोगों के आर्थिक सवाल को हल नहीं किया जाएगा, तब तक चाहे उन्हें कितनी सुविधाएं, किताबें और पैसा दिया जाये, तब तक कुछ नहीं होने वाला है । उनकी फैमिलीज जिन्दा रह सकें, इस के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ।

जहां तक सर्विसिज का सम्बन्ध है, 1975 में प्रथम श्रेणी में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की संख्या 0.78 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 0 54 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 1 33 परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में 4 30 परसेंट था ।

मैंने खुद महाराष्ट्र में देखा है कि एक जगह तीन लड़के नौकरी के लिए आये । उनमें से एक ब्राह्मण, दूसरा मराठा और तीसरा शिड्यूल्ड कास्ट्स का था । ब्राह्मण को टेलीफोन आपरेटर की नौकरी दी गई, मराठा को लिफ्ट चलाने नौकरी मिली और शिड्यूल्ड कास्ट्स को लड़के को जो एम० ए० पास था झाड़ू देने की नौकरी मिली । आज भी यह हो रहा है । हमने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को लिखा कि इस की जांच करें। नौकरियों में अब भी यह डिसक्रिमिनेशन हो रहा है । एम० ए० पास लड़के को झाड़ू देने की जाब देते हैं और कहते हैं कि हमने उनके लिए जाब रिजर्व की हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या 1975 में प्रथम श्रेणी में 1 44 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 3 02 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 13 73 परसेंट, और चतुर्थ श्रेणी में झाड़ू वालों के अलावा 26.29 परसेंट थी । इसका अर्थ यह है कि आज भी हम कहते हैं कि ये लोग इसी जाब के लायक हैं और उन्हें यही काम करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में वही स्थिति है । बैंकों में कलर्कों की श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 0 81 परसेंट है और रिजर्व बैंक में 2 39 परसेंट है । रिजर्व बैंक तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अधीन है । वहां इन लोगों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती है ? सरकार को यह काम अपने घर से शुरू करना चाहिए, वर्ना यह काम नहीं होने वाला है ।

श्री सूरज भान ने एक बहुत अच्छा पायंट बताया है । मैं भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं, आखिर में उनके बारे में क्या कार्यवाही होती है । कमीशन नियुक्त किए जाते हैं और वे पांच छः साल के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं । महाराष्ट्र में गवई बन्धुओं की दोनों आंखें निकाल दी गई । उन के बारे में क्या हुआ, यह पता नहीं है । अपराधियों को कितनी सजा हुई ? जिन लोगों ने उनकी आंखें निकाल दी और उनकी बहन पर अत्याचार किया, उन्हें दो दो महीने की सजा दी गई ।

इस तरीके से अगर सजा मिलेगी, इस तरह से बर्ताव होगा तो अत्याचार बढ़ने वाले हैं । इस देश में न्याय मिलता ही नहीं है । 1975 में कत्ल हुए 346, सीरियसली हर्ट हुए 1268, बलात्कार—320, जला दिया—774 और दूसरे तरह के—4785, कुल 7493 इतने अत्याचार हो हो गए मर्डर को मिला कर। अभी तक इन्क्वारी चालू है । अभी तक केस नहीं बने हैं । 1222 ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर अभी तक केस का इन्क्वारी नहीं हुए हैं, एन्क्वारी चल रही है, 75--79 तक चार साल हो गए । अभी तक हमारे अधिकारी वर्ग को कौन गुनहगार है यह देखने का टाइम नहीं मिला है। इतना ही नहीं अभी चार्जशीट दी है, कितने केसेज में—4661 । तो क्यों नहीं अत्याचार पनपेंगे ? क्योंकि अत्याचार करने वालों को लगता है कि हम करेंगे, कौन हमें पूछने वाला है, कौन हमें सजा मिलने वाली है ? हमें प्रोटेक्शन पुलिस से मिलता है, हमें प्रोटेक्शन गवर्नमैंट से मिलता है । अभी परसों हमने देखा, एक आदमी को मार खानी पड़ी। उसका गुनाह क्या था ? वह बोले कि घोड़े का सवार हो कर बारात में आया इस लिए उसको मार खानी पड़ी । घोड़े पर सवार होना भी इस देश में अगर गुनाह होता है और उस के लिये किसी को मार खानी पड़ती है तो इस देश में इसका कुछ होने वाला नहीं है ।

ऐंटी एपार्थीड ईयर यह चल रहा है । अगर इस देश में ऐन्टी एपार्थीड ईयर सच्चाई से मनाना चाहते हैं तो इन्होंने जो सुझाव दिया है इस को अमल में लाना चाहिए । हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट आप को बनानी चाहिए और ऐंटी एपार्थीड ईयर में यह करना चाहिए । आप इंटरनेशनल वीमेन ईयर में उनके लिए करते हैं, इंटरनेशनल चील्डरेन्स ईयर में उनके लिए करते हैं तो ऐंटी एपार्थीड ईयर यह है इस में आप स्पेशल कोर्ट बनायें और जहां सजा देने की बात है, अगर प्राइमाफेसी केस हो तो उनको पकड़ना चाहिए, नहीं तो हरिजनों में कोई विश्वास ही नहीं पैदा होगा ।

आखिर में मैं एक प्वाइंट महाराष्ट्र का खास तौर से आप के सामने रखना चाहती हूं । बहुत सारे हरिजनों में और बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं

[श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर]

हिन्दू धर्म छोड देता हू क्योंकि इसमे अन्याय होता है, बुद्ध धर्म स्वीकार करता हू । बुद्ध धर्म स्वीकार करते हुए भी उन्होने कहा कि मैं बुद्ध धर्म क्यो स्वीकार कर रहा हू ? क्योंकि हिन्दु धर्म मे सब को देवता समझते हैं, पैगम्बर को एक को खुदा का लडका और एक को खुदा अवतार कहते है । लेकिन बुद्ध धर्म ही ऐसा है जिस मे वह खुद को मानव समझते है क्योंकि बुद्ध खुद को मानव कहते है । लेकिन मै यह कहना चाहती हू कि आज नियो बुद्धिस्टस का कोई सहूलियत नही मिल रही है । जो नियो-बुद्धिस्ट बन गये हैं उनकी सहूलियतो को ले लेना ठीक नही है । उनको ये सब सहूलियते मिलनी चाहिये और केन्द्रीय सरकार को उन्हे यह देना चाहिए । इतना ही नही गुजरात के अन्दर जो चमार था हमने कास्टीच्यूशन अमेंड करके शेड्यूल्ड कास्ट से निकाल दिया है, यह मेरी समझ मे नही आता । कहते है कि वह बहुत पैसे कमाने लगे, बहुत वह पैसे वाले हो गये इस कारण उनको शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट से निकाल दिया । मेरा यह कहना है कि उनको फिर इस लिस्ट में लेना चाहिए ।

दूसरा मेरा यह कहना है कि कोई संस्था अगर ऐसी है जो इस मामले मे अच्छा काम कर रही है तो उसको सहायता देनी चाहिए । मेरे पास यह सूचना आई है कि बधुवा मजदूरो के बारे से और औरतो के बारे में नेहरू युवक केन्द्र काम कर रहा है । ऐसी संस्थाओ के काम की रिपोर्ट आप को मंगवानी चाहिए और उनको कुछ मदद वगैरह देनी चाहिए ।

जहा जहा जमीन, का सवाल हो, उसको आप देखे । पहले हम ने कहा कि 4 करोड एकड जमीन हमारे पास ज्यादा है । बाद में कहा कि चार करोड नही है, 2 करोड ही है । फिर बाद में कहा कि 26 लाख है और अब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 11 लाख एकड जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाय तो उनको उसमे प्रेफरेंस मिलना चाहिए । जब उनके पास जमीन होगी तो कुछ रहने का अधिकार मिलेगा । ये सवाल इस तरीके से हल करेंगे, ऐसी मै आशा करती हू ।

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलाल गंज) सभापति महोदय, आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और यह 74 से 77 तक तक तीन साल की रिपोर्ट है । एकदम से एक गट्ठर को डिस्कस करने के लिए हम उपस्थित है । पाच वर्ष के बाद बहस हो रही है । इसी से सरकार के इरादे का पता चलता है और वह भी बहुत कुछ लडने झगडने के बाद यह बहस हो रही

15.55 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

जहां तक नौकरियो का सवाल है, इमर्जेन्सी के दौरान शेडयूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के लोगो को मर्जी के मुआफिक निकाल दिया जाता था परन्तु अभी भी उनपर से यह इमर्जेन्सी समाप्त नही हुई है। अभी भी मर्जी मुआफिक लोगो को निकाल दिया जाता है । मै एक केस आपको बताना चाहता हू, बी बी डी कुरील, डिप्टी मैनेजर एफ सी आई को अभी 2-1-79 के बिना चार्जशीट के जबाव प्राप्त हुए ही निकाल दिया गया जोकि असांविधानिक है । तो इस तरह की चीजे अभी भी हो रही है ।

गोहत्या के बारे मे विनोबा जी जैसे लोग फास्ट करते हैं । चिडिया को मारना भी एक इन्टर्नेशनल इश्यू बना दिया जाता है परन्तु जब इन्सानो को मारा जाता है, उनको कुत्तो और बिल्लियो से भी बदतर समझा जाता है उनकी बहू-बेटियो की इज्जत लूटी जाती है तब कोई भी महात्मा पुजारी या धर्मात्मा एक शब्द भी नही कहता उसके लिये कोई भी फास्ट करने के लिए नही आता ।

मेरा निवेदन है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगो पर सर्विसेज मे या अन्य क्षेत्रो मे अत्याचार होते है, बेलची और दूसरे इंसीडेन्ट्स हुए तो पार्लमेंट में उन पर डिस्कशन हुआ लेकिन डिस्कशन के बाद उस पर कोई ऐक्शन नही लिया जाता ।

हम आह भी करते है
तो हो जाते है बदनाम
वह कत्ल भी करते है
तो चर्चा नही होता ।

अगर हम रोते हैं तो लोग समझते है कि हम गा रहे है । जब हम भूखे रोते हैं समझते है कि उपवास कर रहे है अपने शरीर का ठीक करने के लिए । जब हम नंगे होते है तो कहते है धूप स्नान कर रहें है। हमारी तकलीफ दूसरो को कुछ नयी बात ही नजर आती है ।

हमारे प्रधान जी ने कहा कि अत्याचार कुछ नही हो रहें हैं। छुआ छूत कुछ भी नही है। जो यहा पर पालियामेंट के मेम्बर बन कर आए है यदि उनकी ही मनोभावना ऐसी हो तो समझ मे नही आता इस देश का क्या होगा? किस प्रकार से उन लोगो पर अत्याचार रुकेंगे? प्रधान जी तो मंत्री भी रह चुके है।

MR SPEAKER: Mr Kureel, you can continue on Monday